न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।
जी0आर0नं0ः–569 / 2021
दाउदनगर थाना कांड संख्या ः–340 / 2021

11.10.2022 हाईवा निबंधन सं0–BR01GB0983 के स्वामी बुलु मिस्त्री के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दिनांक–13.06.2022 को दाखिल आवेदन को संचालित करने हेतु, उसी आशय का एक अन्य आवेदन दाखिल किया गया । उक्त आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना । दिनांकः–12.10.2022 वास्ते आदेश हेतु ।

अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।

12.10.2022 अभिलेख आदेश हेतु नियत है । अभिलेख आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया । आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त दाखिल आवेदन दिनांक–13.06.2022 के आलोक में निवेदन करते है कि उक्त हाईवा निबंधन सं0–BR01GB0983 दाउदनगर थाना द्वारा दिया जप्त किया गया है । उक्त वाहन का स्वामी आवेदक है । वाहन जप्त रहने से वाहन मालिक को आर्थिक नुकसान हो रहा है। अतः आवेदक के पक्ष में उक्त वाहन को मुक्त किया जाय।

सुना । अभिलेख का परिशीलन किया, जिससे विदित होता है कि उक्त वाहन निबंधन सं0–BR01GB0983 दाउदनगर थाना द्वारा जप्त किया गया है । उक्त वाहन पर बालू चोरी का आरोप है। अभिलेख पर आवेदक के द्वारा बालू चोरी से सम्बन्धित हरजाना की राशि मो0–26000/–रूपया जमा किया गया है, जिससे संबंधित प्रतिवेदन जिला खनन कार्यालय, औरंगाबाद के द्वारा पत्रांक–836/ख0 दिनांक–23.05.2022 के तहत समर्पित किया गया है, जो अभिलेख पर है । उक्त वाहन का जप्ती सूची अभिलेख पर उपलब्ध है । उक्त वाहन से सम्बन्धित प्रतिवेदन में थाना द्वारा यह दर्शित किया गया है कि "उक्त वाहन की आवश्यकता अनुसंधान में नही है । उक्त वाहन को मुक्त किया जा सकता है"। उक्त वाहन का स्क्रीन प्रतिवेदन जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना के मेमो नं0–3579 दिनांक–01.07.2022 के तहत समर्पित किया गया है, जिसमें उक्त वाहन का स्वामी का नाम बुलु मिस्त्री, निबंधन संख्या–BR01GB0983, इंजन सं0–6BTAA180HP01F62896021, चेसिस सं0–MAT448091A3F11411 अंकित है । वाहन स्वामी बुलु मिस्त्री की ओर से उक्त वाहन का आर.सी, तंदुरूस्ती एवं परमिट की मूल प्रति जबकि बीमा की छाया प्रति दाखिल किया गया, जिससे विदित होता है कि उक्त वाहन का निवंधन संख्या, चेसिस संख्या एवं इंजन संख्या जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार है। उक्त वाहन का तंदुरूस्ती दिनांक–18.12.2021 तक, कर की वैधता दिनांक–24.03.2022 तक, परमिट की वैधता दिनांक–07.02.2025 तक एवं उक्त वाहन दिनांकः–23.11.2021 की मध्य रात्रि तक बीमित है यानी उक्त वाहन का तंदुरूस्ती, कर एवं बीमा की वैधता समाप्त हो गई है । कागजात मिलान करने के उपरांत कागजात आवेदक को वापस कर दिया गया ।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के अवलोकनार्थ आवेदक बुलु मिस्त्री के पक्ष में उक्त जप्त हाईवा वाहन निबंधन सं0–BR01GB0983 इंजन सं0–6BTAA180HP01F62896021, चेसिस सं0–MAT448091A3F11411 को मुक्त करना न्यायोचित समझता हूँ । ऐसी स्थिति में उपरोक्त आवेदक बुलु मिस्त्री के पक्ष में उक्त हाईवा वाहन निबंधन संख्या–BR01GB0983 को मो0–20,00,000X2 के समान राशि के क्षतिपूर्ति बंधपत्र दाखिल करने पर इस शर्त के साथ मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि उक्त वाहन का आर.सी, तंदुरूस्ती, परमिट एवं बीमा की छायाप्रति की सत्यापित प्रति जो गजटेड पदाधिकारी/नोटरी पब्लिक से सत्यापित हो, दाखिल करेगा । आवेदक इस आशय का एक शपथ पत्र भी दाखिल करेगा कि उक्त वाहन के मुक्ति के एक माह के अंदर उक्त वाहन का तंदुरूस्ती, कर एवं बीमा की अद्यतन प्रति की छायाप्रति की सत्यापित प्रति दाखिल करेगा । वाहन मुक्ति के पश्चात् वाद के निष्पादन तक उसके रंगरूप–स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, बिक्रय नही करेगा, न्यायालय द्वारा मांग किये जाने पर उसे प्रस्तुत करेगा एवं वाहन का जो कागजात दाखिल किया गया है वह सत्य है।

थाना प्रभारी दाउदनगर को निर्देश दिया जाता है कि उचित पहचान पर आवेदक के पक्ष में उक्त निबंधन संख्या से सम्बन्धित जप्त वाहन को पंचनामा बनाते हुए मुक्त करें ।

कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि आवेदक द्वारा क्षतिपूर्ति बंधपत्र दाखिल करने एवं स्वीकृति के उपरांत उपरोक्त आदेश के आलोक में मुक्ति आदेश निर्गत करें ।

अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।